संख्या–000/वीजीएल/018/-
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, जीपीओ काम्प्लैक्स,
ब्लाक-ए, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक 13.02.2024

परिपत्र संख्या 02/02/2024

विषय: विभागीय जाँच कार्यवाही को समय पर अंतिम रूप देना - सतर्कता प्रशासन में सुधार।

संदर्भ:-
(i) **आयोग का दिनांक 19.02.1999 का परिपत्र सं. 8(1)(जी)/99(2).**
(ii) **आयोग का दिनांक 03.03.1999 का परिपत्र सं. 8(1)(जी)/99(3).**
(iii) **आयोग का दिनांक 06.09.1999 का परिपत्र सं. 3(वी)/99(7).**
(iv) **आयोग का दिनांक 23.05.2000 का परिपत्र सं. 000/वीजीएल/18.**
(v) **आयोग का दिनांक 10.08.2004 का कार्यालय आदेश सं. 51/08/2004.**
(vi) **आयोग का दिनांक 18.01.2016 का परिपत्र सं. 02/01/2016.**
(vii) **आयोग का दिनांक 14.12.2020 का परिपत्र सं. 18/12/20.**
(viii) **आयोग का दिनांक 06.10.2021 का परिपत्र सं. 19/09/21.**
(ix) **आयोग का दिनांक 03.12.2021 का परिपत्र सं. 21/12/21.**

केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर समग्र पर्यवेक्षण रखने के लिए सतर्कता मामलों और अनुशासनिक कार्यवाहियों के सभी चरणों को समय पर पूरा करने पर बल देता रहा है। आयोग ने विभागीय कार्यवाहियों के संचालन के लिए पालन की जाने वाली विशिष्ट समय-सीमा के बारे में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मामलों को समयबद्ध तरीके से तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके।

2. जाँच अधिकारी (आईओ) को जाँच पूरी करने और सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। तथापि, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में मामलों की जाँच पूरी होने और जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 6 महीने से अधिक का समय लग रहा है। इस तरह के विलंब का एक कारण पिछले जाँच अधिकारी का स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि के परिणामस्वरूप जाँच अधिकारी का बार-बार बदला जाना है।

3. आयोग का यह मानना है कि विभागीय जाँच को समय पर पूरा करने के लिए, उसी जाँच अधिकारी को उसके स्थानांतरण या पदोन्नति के बाद भी, जब तक जाँच रिपोर्ट उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है, उसी जाँच अधिकारी को जाँच जारी रखनी चाहिए। जाँच अधिकारी के नए स्थान पर स्थानांतरण के मामले में, उसके स्थानांतरण आदेश को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद प्रभावी किया जा सकता है या विभागीय जाँच के संचालन/जारी रखने के लिए डिजिटल मोड/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। यह नोट किया जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने

दिनांक 15.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-142/40/2015-एवीडी.I और दिनांक 05.08.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या -11012/03/2020-ईएसटीटी.ए-III द्वारा विभागीय जाँच के संचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा का अधिकतम उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं । तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों में, जाँच अधिकारी को चल रही जाँच(जाँचों) के लिए पूर्व कार्यालय में जाने की अनुमति दी जा सकती है।

4. इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो व्यक्ति जल्दी ही अल्पावधि में (एक वर्ष की अवधि के भीतर) सेवानिवृत्त होने वाला है, उसे जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश विभागीय जाँच में विलंब हो जाता है और जाँच अधिकारी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है, तब यदि जाँच अधिकारी की इच्छा हो और जाँच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए लागू अन्य शर्तें पूर्ण करता हो, तो उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जाँच अधिकारी के रूप में उसके कार्य करने पर विचार किया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 15.09.2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या -142/40/2015-एवीडी.I और दिनांक 16.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-166859774766 द्वारा सेवानिवृत्त व्यक्ति को जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और ऐसे जाँच अधिकारियों को मानदेय भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से अनुपालन हेतु नोट किया जाए।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
(ii) सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों /सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।
(iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट।